[2021] 6 एस. सी. आर. 522

बृजेश सिंह

वी.

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

(2021 की आपराधिक अपील संख्या 646)

20 जुलाई, 2021

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़ और

एम. आर. शाह, जे. जे.]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973: एस. 378 - बरी किए जाने के विरुद्ध अपील-बरी किए जाने के आदेश के विरुद्ध अपील करने के लिए अनुमति प्रदान करना

निचली अदालत-उच्च न्यायालय द्वारा विचार किए जाने वाले सिद्धांत-तथ्यों पर, निचली अदालत ने दंड संहिता और दहेज निषेध अधिनियम के तहत अपराध करने के लिए दूसरे से छठे प्रतिवादी को बरी कर दिया

सूचना देने वाले द्वारा अपील करने की अनुमति के लिए आवेदन-उच्च न्यायालय द्वारा खारिज-अपील पर, अभिनिर्धारित किया गयाः उच्च न्यायालय का निर्णय एस के प्रावधानों के अनुरूप, पालन की जाने वाली आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता था। 378 - उच्च न्यायालय अपने कारणों को कम से कम संक्षेप में, साक्ष्य की प्रकृति और निष्कर्षों के लिए दिमाग के आवेदन का संकेत देते हुए-केवल यह अवलोकन कि परीक्षण न्यायाधीश के आदेश ने साक्ष्य पर दिमाग के आवेदन के बिना एक संभावित दृष्टिकोण लिया है और निष्कर्ष उक्त आवेदन का निर्धारण करते समय उच्च न्यायालय पर डाले गए कर्तव्य के अनुरूप नहीं हैं-राज्य ने निचली अदालत द्वारा बरी किए जाने के फैसले के खिलाफ अपील करने की अनुमति के लिए एक आवेदन भी दायर किया था और इसे विवादित फैसले के बाद उच्च न्यायालय द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था-इसके मद्देनजर,

उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय को दरकिनार कर दिया जाता है-नए सिरे से निर्धारण के लिए उच्च न्यायालय को प्रेषित मामला-दंड संहिता, 1860s। 302 आर/डब्ल्यू एस। 149 , एसएस। 304 बी और 498 ए-दहेज निषेध अधिनियम। 3 और 4.

मध्य प्रदेश राज्य बनाम गिरिराज दुबे (2013) 15 एससीसी 257: [2013] 1 एस. सी. आर. 1097; महाराष्ट्र राज्य बनाम विठ्ठल राव प्रीतिराव चव्हाण (1981) 4 एस. सी. सी. 129; उड़ीसा राज्य बनाम धनीराम लुहार (2004) 5 एस. सी. सी. 568: [2004] 2 एस. सी. आर. 68; राजस्थान राज्य बनाम सोहन लाल (2004) 5 एस. सी. सी. 573: [2004] 1 पूरक। एससीआर 480; उत्तर प्रदेश राज्य बनाम अजय कुमार (2008) 3 एस. सी. सी. 351: [2008] 2 एस. सी. आर. 552; महाराष्ट्र राज्य बनाम सुजय मंगेशकर (2008)

9 एससीसी 475: [2008] 13 एस. सी. आर. 750; चमन लाल बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य (2020) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 988 - संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

[2013] 1 एससीआर 1097

पै

रा 4

संदर्भित किया गया है

(1981) 4 एस. सी. सी 129

संदर्भित किया गया है

पै

रा 6

[2004] 2 एससीआर 68

संदर्भित किया गया है

पै

रा 6

[2004] 1 पूरक। एस. सी. आर. 480 संदर्भित

पै

रा 6

[2008] 2 एससीआर 552

पै

रा 6

संदर्भित किया गया है

[2008] 13 एससीआर 750

पै

रा 6

संदर्भित किया गया है

आपराधिक अपील

न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील

2021 का सं. 646।

उच्च न्यायालय के 24.09.2014 दिनांकित निर्णय और आदेश से

सी. आर. एल. में इलाहाबाद में न्यायपालिका। विविध। आवेदन यू/एस 372 Cr.P.C। (अपील करने की अनुमति) 2014 का No.351।

सुश्री सोनिया माथुर, वरिष्ठ अधिवक्ता। , उदय प्रकाश, पुनीत पाठक, विपुल

शुक्ला, सुजीत कुमार, रामजी पांडे, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

राजन चौरसिया, सर्वेश सिंह बघेल, सुरेंद्र नाथ पांडे,

जेड. यू. खान, एम. जेड. चौधरी, सुलेमान मोहम्मद। खान, सैयद इम्तियाज अली, अली सफीर फारूकी, आफताब अली खान, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश पारित किया गया थाः

आदेश

1. छुट्टी दे दी गई।

2. 14 अगस्त 2014 के एक निर्णय द्वारा, अतिरिक्त सत्र

गाजियाबाद के न्यायाधीश ने 2012 के सत्र परीक्षण संख्या 2125 में दूसरे से छठे प्रतिवादियों को बरी कर दिया, जहां उन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 149, धारा 304 बी और धारा 498 ए और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 के साथ पठित दंडनीय अपराध करने के लिए मुकदमा चलाया गया था। निचली अदालत के न्यायाधीश के फैसले पर अपीलार्थी द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष हमला करने की मांग की गई थी, मूल

सूचना देने वाला, अपील करने की अनुमति के लिए एक आवेदन दायर करके, आपराधिक विविध आवेदन (अपील करने की अनुमति संख्या 351/2014) है। इलाहाबाद में उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने खारिज कर दिया

निम्नलिखित कारणों के आधार पर आवेदनः

" निर्णय और अभिलेख के सावधानीपूर्वक अवलोकन पर, यह नहीं हो सकता है

उन्होंने कहा कि ट्रायल जज द्वारा लिया गया दृष्टिकोण विकृत या [2021] 6 एस. सी. आर. है।

अनुचित है। केवल इसलिए कि साक्ष्य के बारे में एक और दृष्टिकोण लिया गया हो सकता है, बरी करने के आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए कोई आधार प्रदान नहीं करता है जब तक कि विचारण न्यायाधीश द्वारा लिया गया दृष्टिकोण एक संभावित दृष्टिकोण नहीं है। अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य पर, यह नहीं कहा जा सकता है कि विचारण न्यायाधीश द्वारा लिया गया दृष्टिकोण उचित रूप से संभव दृष्टिकोण नहीं था।

मामले के इस दृष्टिकोण में, अपील करने की अनुमति के लिए आवेदन में कोई योग्यता नहीं है जिसे खारिज कर दिया जाता है और परिणामस्वरूप अपील भी खारिज कर दी जाती है।

3. देरी को माफ करने के बाद 17 अक्टूबर 2016 को विशेष अनुमति याचिका में नोटिस जारी किया गया था। नोटिस के अनुसरण में, श्री जेड यू

खान दूसरे से छठे उत्तरदाताओं की ओर से पेश हुए हैं।

4. अपीलार्थी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री सोनिया माथुर ने कहा है कि बरी किए जाने के आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए अनुमति देने के लिए एक आवेदन पर विचार करते समय, उच्च न्यायालय को साक्ष्य और निष्कर्षों की जांच करने और यह निर्धारित करने की आवश्यकता थी कि क्या अपील करने के लिए अनुमति दी जानी चाहिए। इस संदर्भ में, विद्वान वकील ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 378 के प्रावधानों और मध्य प्रदेश राज्य बनाम गिरिराज दुबे 1 में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा जताया।

5. दूसरी ओर, दूसरे से छठे उत्तरदाताओं के विद्वान वकील श्री जेड यू खान प्रस्तुत करते हैं कि तथ्य के समवर्ती निष्कर्ष हैं जिनके कारण आरोपी को बरी कर दिया गया है और उन्होंने अदालत का ध्यान उन निष्कर्षों की ओर आकर्षित करने की मांग की है जो निचली अदालत द्वारा दर्ज किए गए हैं।

6. प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों का मूल्यांकन करने के बाद, हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय का विवादित निर्णय आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है

जिनका अवलोकन दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 378 के प्रावधानों के अनुरूप किया जाना है, जहां उच्च न्यायालय बरी करने के आदेश के खिलाफ अपील करने की अनुमति के लिए एक आवेदन की सुनवाई करता है। मध्य प्रदेश राज्य बनाम गिरिराज दुबे (उपरोक्त) मामले में, इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने इस विषय पर इस न्यायालय के उदाहरणों को व्यापक रूप से स्वीकार किया है। उपरोक्त निर्णय में जिन पूर्व निर्णयों का पालन किया गया है, वे हैं: (i) महाराष्ट्र राज्य बनाम विट्ठल राव प्रीतिराव चव्हाण 2;

1 (2013) 15 एस. सी. सी. 257 2 (1981) 4 एस. सी. सी. 129 बृजेश सिंह बनाम।

((ii) उड़ीसा राज्य बनाम धनीराम लुहार 3, (iii) राजस्थान राज्य बनाम सोहन लाल 1; (iv) उत्तर प्रदेश राज्य। बनाम अजय कुमार 3; और (v) महाराष्ट्र राज्य बनाम सुजय मंगेशकर। जो सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है वह यह है कि उच्च न्यायालय को अपने कारण निर्धारित करने चाहिए,

कम से कम संक्षेप में, साक्ष्य की प्रकृति और निष्कर्षों पर पहुंचने के लिए दिमाग का एक अनुप्रयोग। दूसरे शब्दों में, केवल यह देखते हुए कि विचारण न्यायाधीश के आदेश ने साक्ष्य पर ध्यान दिए बिना एक संभावित दृष्टिकोण लिया है और निष्कर्ष उस कर्तव्य के अनुरूप नहीं हैं जो यह निर्धारित करते समय उच्च न्यायालय पर डाला गया है कि क्या बरी करने के आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए अनुमति दी जानी चाहिए। 7. उड़ीसा राज्य बनाम धनीराम लुहार (ऊपर) में, वे सिद्धांत जो किसी मामले को नियंत्रित करते हैं जैसे कि वर्तमान, जहां उच्च न्यायालय है

निचली अदालत द्वारा बरी किए जाने के आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए अनुमति देने का अनुरोध किया गया है। न्यायालय ने कहा हैः

" 6. निचली अदालत को पूरे साक्ष्य का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करने और फिर किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की आवश्यकता थी। यदि निचली अदालत इस संबंध में चूक कर रही थी तो उच्च न्यायालय अपील पर विचार करके इस तरह की कवायद करने के लिए बाध्य था। इस मामले के तथ्यों पर निचली अदालत ने अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया, जैसा कि कानून द्वारा उसे आदेश दिया गया था। उच्च न्यायालय को ऐसी परिस्थितियों में अनुमति देनी चाहिए थी और उसके बाद अपील की पहली अदालत के रूप में, स्वतंत्र रूप से रिकॉर्ड पर पूरे साक्ष्य की पुनः सराहना करनी चाहिए थी और अभियुक्त के अपराध या अन्यथा के संबंध में अपने निष्कर्षों को निष्पक्ष रूप से वापस करना चाहिए था। यह ऐसा करने में विफल रहा है। इसमें शामिल प्रश्न तुच्छ नहीं थे। की पृष्ठभूमि में अभियुक्त के प्रवेश का प्रभाव

आधिकारिक गवाहों की गवाही और अपील में आवश्यक निर्णय प्रदर्शित करने वाले दस्तावेज। उच्च न्यायालय ने बरी किए जाने के खिलाफ अपील दायर करने की अनुमति देने से इनकार करने का कोई कारण नहीं बताया है, और इस तथ्य से पूरी तरह से अनजान प्रतीत होता है कि इस तरह के इनकार से, अपीलीय मंच द्वारा बरी किए जाने के आदेश की बारीकी से जांच एक बार और हमेशा के लिए खो गई है। जिस तरीके से बरी किए जाने के खिलाफ अपील को उच्च न्यायालय द्वारा निपटाया गया है

बहुत कुछ वांछित है। कारण एक क्रम में स्पष्टता का परिचय देते हैं। न्याय के स्पष्टतम विचार पर, उच्च न्यायालय को यह निर्धारित करना चाहिए था कि

3 (2004) 5 एससीसी 568

4 (2004) 5 एस. सी. सी. 573

5 (2008) 3 एस. सी. सी. 351

6 (2008) 9 एससीसी 475 [2021] 6 एस. सी. आर.

इसके कारणों को आगे बढ़ाते हुए, चाहे इसके क्रम में कितना भी संक्षिप्त क्यों न हो, यह उसके दिमाग के उपयोग का संकेत देता है; और भी अधिक जब इसका क्रम आगे की चुनौती के लिए उपयुक्त होता है। कारणों की अनुपस्थिति ने उच्च न्यायालय के आदेश को टिकाऊ नहीं बना दिया है। इसी तरह का विचार व्यक्त किया गया था

यू. पी. राज्य बनाम बट्टन [(2001) 10 एस. सी. सी. 607: 2003 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 639]। लगभग दो दशक पहले महाराष्ट्र राज्य बनाम. विठ्ठल राव प्रीतिराव चव्हाण [(1981) 4 एस. सी. सी. 129: 1981 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 807: ए. आई. आर. 1982 एस. सी. 1215] छुट्टी के अनुदान के लिए एक आवेदन से निपटने के दौरान एक बोलने वाले आदेश की वांछनीयता पर प्रकाश डाला गया था। ऐसे मामलों में कारणों को इंगित करने की आवश्यकता को न्यायिक रूप से अनिवार्य माना गया है। इस विचार को दोहराया गया

जवाहर लाल सिंह बनाम। नरेश सिंह [(1987) 2 एससीसी 222: 1987 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 347] इस न्यायालय द्वारा कानून की घोषणा का पालन करने के लिए न्यायिक अनुशासन को किसी भी बहाने से नहीं छोड़ा जा सकता है।

प्राधिकरण या न्यायालय, चाहे वह किसी राज्य का सर्वोच्च न्यायालय भी हो, अनजान

संविधान के अनुच्छेद 141 "।

8. इन सिद्धांतों का पालन हाल ही में चमन लाल बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य मामले में इस अदालत के एक फैसले में किया गया है।

2017 की अपील संख्या 1229,3 दिसंबर 2020 को तय की गई]।

9. अदालत को इस तथ्य से अवगत कराया गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य ने भी इसके खिलाफ अपील करने की अनुमति के लिए एक आवेदन दायर किया था।

निचली अदालत द्वारा बरी किए जाने और अपील करने की अनुमति के फैसले को उच्च न्यायालय ने 7 जुलाई 2015 को अस्वीकार कर दिया था। हालाँकि, यह सामान्य आधार है कि राज्य को अपील करने की अनुमति देने से इनकार करते हुए, उच्च न्यायालय ने उस आदेश का पालन किया जो वर्तमान अपील में विवादित है, जिसमें सूचना देने वाले को 24 सितंबर 2014 के उच्च न्यायालय के फैसले द्वारा अपील करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया गया था।

10. उपरोक्त कारणों से, हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय को रिमांड का आदेश दिया जाएगा। हम तदनुसार अनुमति देते हैं

अपील की जाए और 24 सितंबर 2014 के उच्च न्यायालय के विवादित निर्णय और आदेश को दरकिनार कर दिया जाए और नए सिरे से निर्धारण के लिए इलाहाबाद में उच्च न्यायालय को आपराधिक विविध आवेदन (अपील करने की अनुमति संख्या 351/2014) प्रेषित किया जाए।

11. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, तो उनका निपटारा कर दिया जाता है।

अपील की अनुमति दी गई।

निधि जैन 7 (2020) एससीसी ऑनलाइन एससी 988